



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1241]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2006/आश्विन 25, 1928

No. 1241]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2006/ASVINA 25, 1928

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1775(अ).—मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित धारा 14 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना का.आ. संख्या 1809 (अ.) का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त करती है तथा निदेश देती है कि वे उन खानों, तेल क्षेत्रों तथा वायु परिवहन सेवाओं, जिन पर उक्त अधिनियम लागू होता है, के संबंध में उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उनके सामने विनिर्दिष्ट क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपने कार्य करेंगे, अर्थात् :-

तालिका

क्रमांक	निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी	अधिकार क्षेत्र
1	2	3
1.	मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में तैनात सभी उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), सभी सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	सम्पूर्ण भारत ।
	सभी अन्य उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	सम्पूर्ण भारत ।
2.	अहमदाबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा अहमदाबाद क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	गुजरात राज्य और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केन्द्र शासित क्षेत्र ।
3.	अजमेर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा अजमेर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	राजस्थान राज्य ।

4.	आसनसोल क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा आसनसोल क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	पश्चिम बंगाल राज्य में बर्दवान, बीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के सिविल जिले ।
5.	कोलकाता क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा कोलकाता क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	पश्चिम बंगाल राज्य (बर्दवान, बीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के सिविल जिलों को छोड़कर), सिक्किम राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के केन्द्र शासित क्षेत्र ।
6.	बंगलौर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा बंगलौर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	कर्नाटक राज्य ।
7.	भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	उड़ीसा राज्य ।
8.	मुम्बई क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा मुम्बई क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	(i) महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित सिविल जिलों को छोड़कर:- नागपुर, भण्डारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलधाना, जलगांव, चन्द्रापुर, गडचिरोली, नान्देड, परभनी, यवतमाल ओसमानाबाद, लातूर, बीड़, हिंगोली और वासिम । (ii) गोवा राज्य ।
9.	नागपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा नागपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	(i) महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित सिविल जिले:- नागपुर, भण्डारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलधाना, जलगांव, चन्द्रापुर, गडचिरोली, नान्देड, परभानी, यवतमाल ओसमानाबाद, लातूर, बीड़, हिंगोली और वासिम ।
10.	कोचीन क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा कोचीन क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	(i) केरल राज्य, । (ii) संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप । (iii) पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र में माहे ।
11.	चंडीगढ़ क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा चंडीगढ़ क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	(i) हिमाचल प्रदेश राज्य । (ii) हरियाणा राज्य । (iii) पंजाब राज्य । (iv) जम्मू और कश्मीर राज्य । (v) केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ ।
12.	धनबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा धनबाद क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	झारखण्ड के निम्नलिखित सिविल जिले:- धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमदेगा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, सराय केअला (खरसनवा) और जामतारा ।
13.	गुवाहाटी क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा गुवाहाटी क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य ।
14.	हैदराबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा हैदराबाद क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	आंध्र प्रदेश राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र पांडिचेरी में यनम क्षेत्र ।

15.	जबलपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा जबलपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	मध्य प्रदेश राज्य ।
16.	कानपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा कानपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूँ, रामपुर, बागपत और गौतमबुद्ध नगर सिविल जिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य ।
17.	देहरादून क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा देहरादून क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	उत्तरांचल राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूँ, रामपुर, बागपत और गौतमबुद्ध नगर जिले ।
18.	चेन्नई क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा चेन्नई क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	तमिलनाडु राज्य और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी (यनम और माहे को छोड़कर) ।
19.	नई दिल्ली क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा नई दिल्ली क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ।
20.	पटना क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा पटना क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	बिहार राज्य और झारखण्ड राज्य के गढ़वा, पलामू, लाटेहर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुर सिविल जिले ।
21.	रायपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा रायपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) ।	छत्तीसगढ़ राज्य ।

[फा. सं. एस-31013/1/05-डब्ल्यू. सी.]

अशोक साहु, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2006

S.O. 1775(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 14 read with section 24 of the **Payment of Wages Act, 1936** (4 of 1936) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1809(E), dated the 26th December, 2005, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below to be **Inspectors** for the purposes of the said Act and directs that they shall exercise their functions within the local limits of the area specified against them in column (3) of the said Table in respect of mines, oilfields and air transport services to which the said Act applies, namely:-

TABLE

Serial Number.	Officers appointed as Inspector	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Chief Labour Commissioner (Central), All Dy. Chief Labour Commissioners (Central), All Assistant Labour Commissioner (Central), All Labour Enforcement Officers (Central) posted in Head Quarters Office of Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi	The Whole of India
	All other Dy. Chief Labour Commissioners (Central)	The Whole of India
2.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Ahmedabad region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Ahmedabad region.	The State of Gujarat, and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
3.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Ajmer region and All Labour Enforcement Officers (Central), in the Ajmer region.	The State of Rajasthan.
4.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Asansol region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Asansol region.	The Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
5.	All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Kolkatta region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Kolkatta region.	The State of West Bengal (excluding the Civil Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia), The State of Sikkim and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

6. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Bangalore region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Bangalore region. The State of Karnataka.
7. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Bhubaneswar region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Bhubaneswar region. The State of Orissa.
8. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Mumbai region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Mumbai region. (i) The State of Maharashtra **excluding** the Civil districts:- Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, Bid, Hingoli and Wasim.
(ii) State of Goa.
9. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Nagpur region and all Labour Enforcement Officers (C) in the Nagpur region. (i) The following Civil Districts of the State of Maharashtra:- Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, Bid, Hingoli and Wasim.
10. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Cochin region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Cochin region. (i) State of Kerala.
(ii) The Union Territory of Lakshdweep.
(iii) Mahe in the Union Territory of Pondicherry.
11. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Chandigarh region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Chandigarh region. (i) The State of Himachal Pradesh.
(ii) The State of Haryana.
(iii) The State of Punjab.
(iv) The State of Jammu and Kashmir.
(v) The Union Territory of Chandigarh.
12. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Dhanbad region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Dhanbad region. The following Civil Districts of Jharkhand, Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh, Kodarma, Ranchi, Lohardaga, Gumla, Simdega, Chatra, East Singhbhum, West Singhbhum, Giridih, Deoghar, Sarai Keala (Kharsanwa) and Jamtara.
13. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Guwahati region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Guwahati region. The State of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh and Mizoram.
14. All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Hyderabad region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Hyderabad region. The State of Andhra Pradesh and the Area of Yanam in the Union Territory of Pondicherry.

- | | | |
|-----|---|--|
| 15. | All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Jabalpur region and all Labour Enforcement Officers (C) in the Jabalpur region. | The State of Madhya Pradesh. |
| 16. | All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Kanpur region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Kanpur region. | The State of Uttar Pradesh excluding the Civil Districts of Saharanpur, Bijnor, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Pilibhit, Shahjahanpur, Badaun, Rampur, Bagpat and Gautam Budh Nagar. |
| 17. | All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Dehradun region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Dehradun region. | State of Uttaranchal and districts of Saharanpur, Bijnore, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Pilibhit, Shahajahanpur, Badaun, Rampur, Bagpat and Gautam Budh Nagar of the State of Uttar Pradesh. |
| 18. | All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Chennai region, and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Chennai region. | The State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry (except Yanam and Mahe). |
| 19. | All Assistant Labour Commissioners (Central) in the New Delhi region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the New Delhi region. | National Capital Territory of Delhi. |
| 20. | All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Patna region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Patna region. | The State of Bihar and the Civil Districts Garwah, Palamu, Latehar, Dumka, Godda, Sahibganj and Pakur in the State of Jharkhand. |
| 21. | All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Raipur region and all Labour Enforcement Officers (Central) in the Raipur region. | The State of Chattisgarh |

[F. No. S-31013/1/05-WC]

ASHOK SAHU, Economic Adviser